न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./14/2019/बाड़मेर

अपीलांट

1. शेरखां पुत्र शौकत अली जाति मुसलमान निवासी सेलवी गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.फजलदीन पुत्र जमालदीन
2.रईसदीन पुत्र जमालदीन
3.बाबुखा पुत्र जमालदीन
4.जमालदीन पुत्र अमरेखां
5.ईस्माईल पुत्र जमालदीन जाति मुस्लमान निवासी सेलवी गोमट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
6.श्रीमान तहसीलदार पोकरण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/2016 बअनवान शेर खां बनाम फजलदीन वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.08.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मनोहरसिंह रेस्पोडेंट 01 से 05 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 05.03.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पोकरण तहसील पोकरण के खेत खसरा संख्या 31/1 रकबा 66.13 बीघा में अपीलांट का 1/2 हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाऊण्डस विभाजन बंटवाडा पारित न कर अपीलार्थी को मुख्य राजमार्ग संख्या 14 जैसलमेर से पोकरण में 1/2 हिस्से में आने वाली भूमि मुख्य सड़क पर न देकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट का 1/2 हिस्सा सड़क के पीछे देकर अपीलांट को उसके वास्ततिक कानूनन वादग्रस्त आराजी में मुख्य सड़क में आन वाले 1/2 हिस्से वंचित रख दिया। अधीनस्थ न्यायायलय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पोकरण से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर नहीं गये तथा न ही तहसीलदार मोहदय के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव भी राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं गई है तथा मौके पर स्थिति के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिससे उक्त विभाजन प्रस्ताव एकतरफा एवं निष्पक्ष नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गलत एवं विधि विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा पोकरण तहसील पोकरण के खेत खसरा संख्या 31/1 रकबा 66.13 बीघा में अपीलांट का 1/2 हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाऊण्डस विभाजन बंटवाडा पारित न कर अपीलार्थी को मुख्य राजमार्ग संख्या 14 जैसलमेर से पोकरण में 1/2 हिस्से में आने वाली भूमि मुख्य सड़क पर न देकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से अपीलांट का 1/2 हिस्सा सड़क के पीछे देकर अपीलांट को उसके वास्तविक कानूनन वादग्रस्त आराजी में मुख्य सड़क में आने वाले 1/2 हिस्से वंचित रख दिया। मौका फर्द दिनांक 30.06.2017 पर मेरे हस्ताक्षर रेस्पोडेंट द्वारा मुझे दबाव में लेकर करवाये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। तहसीलदार स्वयं ने मौका मुआयना नहीं कर अधीनस्थ कार्मिक को अपने अधिकार हस्तांतरण किये जबकि विभाजन में मामले में तहसीलदार स्वयं को मौका मुआयना करना आवश्यक है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पर हिस्से के बाबत हम सहमत है। मौका फर्द दिनांक 30.06.2017 पर अपीलांट स्वयं के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर है तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 18.07.2019 को नायब तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर जाकर कब्जा काश्त एवं स्थाई आलामात के आधार पर तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अपीलाधीन आराजी पर 1977 से लगातार हम काबिज है तथा कब्जा काश्त के आधार पर ही विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायायल में पेश हुआ जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

DNJ 2017 Page 72

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार पोकरण को कमीश्नर नियुक्त किया गया था परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार पोकरण स्वयं ने मौके पर न जाकर अपने अधीनस्थ कार्मिकों को मौके पर भेजकर मौके की स्थिति के विपरित जाकर बनाया गया विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। वादग्रस्त आराजी मुख्य राजमार्ग संख्या 14 पर आई हुई है लेकिन अपीलांट को मुख्य सड़क पर भूमि नहीं देकर सड़क के पिछे वाली भूमि दी गई जो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी सहखातेदारों का हर इंच पर हिस्सा होता है। विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश करना चाहिए था लेकिन पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/2016 बअनवान शेर खां बनाम फजलदीन वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.08.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस सभी सहखातेदारों के हिस्से तक की भूमि मुख्य सड़क पर देते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

5/3/20
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner